

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 707]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2020 — पौष 10, शक 1942

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक F 01-04/31/स्था./2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग (तृतीय श्रेणी) लिपिक वर्गीय/अलिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची—दो के सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
“3.	सहायक ग्रेड—एक	63	—	100%	—	प्रमुख अभियंता द्वारा नामनिर्दिष्ट (1) मुख्य अभियंता — अध्यक्ष (2) दो अधीक्षण अभियंता — सदस्य (3) एक अनुसूचित जाति एक अनुसूचित जनजाति एक अन्य पिछड़ा वर्ग — सदस्य	

2. अनुसूची—चार के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (6) में, शब्द “अर्ह” का लोप किया जाये।
3. अनुसूची—चार के सरल क्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3.	सहायक ग्रेड—दो	5 वर्ष	सहायक ग्रेड—एक	—तदैव—	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 01-04/31/स्था./2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-04/31/स्था./2014, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

Atal Nagar, the 9th December 2020

NOTIFICATION

No. F 01-04/31/स्था./2014. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Water Resource Department (Class-III) Ministerial/Non-Ministerial Service Recruitment Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

- For serial number 3 and entries relating thereto of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"3.	Assistant Grade - I	63	—	100%	-	Nominated by Engineer-in-Chief. (1) Chief Engineer -- Chairman (2) Two Sub Engineer -- Member (3) One member of Scheduled Castes/One Scheduled Tribes/ One Other Backward Classes -- Member	

- In Column (6) of serial number 2 of Schedule-IV, the word "Qualified" shall be omitted.
- For serial number 3 and entries relating thereto of Schedule-IV, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Assistant Grade - II	5 Year	Assistant Grade - I	--do--"	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.